

उत्तर प्रदेश शासन

धम अनुभाग-2

संख्या 2163 (एच0 आई0)/36-2-127 (एस0 एम0)-90

लखनऊ, 24 अप्रैल, 1990

अधिसूचना

ठेका धम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1970) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य ठेका सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् और ठेकों धम के लिए कार्य की शर्तों और उपलब्ध लाभों और इस धारा की उपधारा (2) में वर्णित अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखने के पश्चात् उत्तर प्रदेश में स्थित समस्त वस्त्र उद्योग में ऐसे संकायों, प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में और ऐसे पदनामों के अधीन जिनका उल्लेख नीचे अनुसूची में किया गया है, ठेका धम के नियोजन को निषिद्ध करते हैं :

अनुसूची

वस्त्र उद्योग

उत्तर प्रदेश में स्थित टेक्सटाइल मिलों के उन संकायों और प्रक्रियाओं के नाम जिनके सम्बन्ध में ठेका धमियों का नियोजन निषिद्ध किया जाता है :

- 1—बॉयलिंग मशीन ;
- 2—यार्न रीलिंग ;
- 3—ब्लोयिंग स्कार्बन्जिंग एवं स्वीपिंग तथा सनीटेशन ;
- 4—एनग्रेविंग आफ कापर रोल्लस ;
- 5—ड्रायलर फायरिंग ;
- 6—राख को हटाना ;
- 7—सिक्वोरिटी गार्ड्स ;
- 8—हल्की और भारी गाड़ियों के ड्राइवर और लिफ्ट, क्रेन आदि के ऑपरेटर ;
- 9—माली, गार्डनर, कारपेन्टर ;
- 10—कॉन्टीन के कर्मचारी ।

आज्ञा से,
मोहिन्दर सिंह,
सचिव ।